न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2018	निगरानी	04.07.2018	27.06.2022

1. रामसहाय पुत्र गोकुल जाति मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. छुट्टन लाल पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खिदरपुर तहसील गंगापुर सिटी।

– निगरानीकारान–

बनाम

1. ग्राम पंचायत महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. विकास अधिकारी ग्राम पंचायत महानन्दपुर, पंचायत समिति गंगापुर सिटी।

– अप्रार्थीगण–

दिनांक: 27.06.2022

निर्णय

1. यह निगरानी निगरानीकारान की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जुगल किशोर गर्ग द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक 17.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. निगरानी के मुताबिक संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा द्वारा पट्टा विधि के प्रवधानों के विपरित जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने राज0 पंचायती राज नियम 1996 की पालना नहीं की गई। नियम 142 के तहत पंचायत को पहले भूमि तथा उसकी किस्म की योजना तैयार करनी चाहिए थी तथा आवेदन पेश होने पर नियम 148 के अन्तर्गत 15 दिवस का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जो नही किया गया है।
3. निगरानी मे आगे कथन किया गया है कि पट्टा एवं विक्रय विलेख केवल नीलामी के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। निःशुल्क पट्टो का प्रपत्र भिन्न प्रकार का है जिसमें निःशुल्क/छूट पर भी होता है। ग्राम पंचायत को इस प्रकार निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार नही है।
4. प्रकरण के अनुसार विवादित भूमि रास्ते की भूमि है, जिसमे होकर रास्ता जा रहा है। ग्रेवल सड़क बनी हुई है। इस भूमि मे मन्दिर का दरवाजा खुलता है इसी भूमि मे होकर आम जनता मन्दिर मे आती जाती है रास्ते की भूमि का पंचायत को पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। इस आबादी मे जाने के रास्तो का सारा रिकॉर्ड पंचायत के पास उपलब्ध है। जिसे पंचायत ने पेश नही किया है।
5. प्रकरण के अनुसार निःशुल्क पट्टो के लिये नियम 162 के तहत जिला परिषद से पुष्टि कराया जाना आवश्यक है। जो कि आज तक नही कराई गई है।
6. प्रकरण मे निगरानीकारान द्वारा आगे कथन किया गया है कि अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की वैधता की जांच नही की है केवल निर्माण पूरा हो जाने के आधार पर अपील खारिज करने की कानूनी भूल की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

7. प्रकरण मे निगरानीकारान ने आगे कथन करते हुए कहा है कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही फरमाया कि पट्टे की सारी कार्यवाही एक दिन में ही पूरी की गई है, जो नियमों के विपरीत है। जिससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही पोशीदा तौर से की गई है। निगरानीकारान ने निर्माण चालू होने से पूर्व ही सिविल न्यायालय मे दावा पेश कर दिया, जिसमें कमिश्नर ने मौका देखा और मौके पर रास्ता पाया लेकिन अदालत मातहत ने इन दस्तावेजों पर कोई गौर नही फरमाया।

8. प्रकरण मे निगरानीकारान ने निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर उक्त आधारों के दृष्टिगत रखते हुए निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाया जाकर पट्टा क्रमांक बुक नं0 16 दिनांक 20.03.2009 निरस्त फरमाया जावें।

9. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई एवं पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

10. बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति द्वारा निगरानीकारान के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 20.03.2009 विधि विरूद्ध जारी किया गया है। इस प्रकार से पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। बावजूद इसके राजनैतिक दबाव एवं द्वेषतापूर्ण रवैया अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा दिनांक 20.03.2009 को बहाल रखते हुए निगरानीकारान की अपील को खारिज कर दिया, अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

11. हमने निगरानी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मिसल का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

12. हस्तगत प्रकरण में पट्टा दिनांक 20.07.2009 के संबंध मे हमको यह तय करना है कि क्या उक्त पट्टे को जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को था या उसकों जारी करने मे कोई अनियमितता की गई है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि होती है जिसमे पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे सामुदायिक भवन के लिए पट्टा दिया जाने बाबत् आवेदन पत्र, बयान मौका स्थिति, आबादी भूमि का निरीक्षण प्रपत्र, फैसला फॉर्म, आज्ञाओं की सूची, आक्षेप नोटिस एवं पट्टा दिनांक 20.03.2009 संलग्न है। आम ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 20.03.2009 मे प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय विलेख के संबंध मे आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस भी जारी किया गया है तथा नोटिस को सार्वजनिक स्थान मंदिर पर चस्पा कर आपत्ति ली गई है। चूंकि ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा द्वारा अपने स्वामित्व की आबादी भूमि को नियमानुसार कार्य करते हुए सार्वजनिक कार्य हेतु सामुदायिक भवन के लिए पट्टा जारी किया गया है। तथा सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सरकारी कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर सिटी द्वारा कराया गया है जो कि पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा समस्त ग्रामवासी खिदरपुर को सम्भला दिया गया है। निगरानीकारान रामसहाय वगै0 ने निगरानी के पैरा 4 मे यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि रास्ता भूमि है, जिससे होकर मंदिर का रास्ता जा रहा है। ग्रेवल सड़क बनी हुई है। परंतु निगरानीकारान ने विवादित भूमि के रास्ते की भूमि होने या ग्रेवल सड़क बने होने के संबंध मे कोई ठोस सबूत अधीनस्थ न्यायालय या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

न्यायालय हाजा मे पेश नही किया है। उनके द्वारा निगरानी मे लिखा है कि इस आबादी मे जाने के रास्तों का सारा रिकॉर्ड पंचायत के पास उपलब्ध है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा पेश नही किया है। चूंकि विवादित भूमि के रास्ते की भूमि होने के ठोस सबूत पेश करने का भार निगरानीकारान का है तथा जिसे पेश करने मे निगरानीकारान असफल रहे है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही निगरानी पेश की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण मे निगरानी मे विवादित भूमि रास्ते की भूमि साबित नही होने से निगरानीकारान प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार नही है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि होती है, जिसमें पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। इसप्रकार निगरानीकारान हस्तगत निगरानी को साबित करने मे असफल रहे है, अतः अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति, गंगापुर सिटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.07.2012 को बहाल रखते हुए निगरानी को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी को साबित करने मे निगरानीकारान असफल रहे है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति गंगापुर सिटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.07.2012 को बहाल रखते हुए निगरानी को खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.22 को सरे इजलास सुनाया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)